

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

कैलाश चंद गुप्ता पुत्र श्री घूडमल गुप्ता उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत जहांगीरपुर
तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली (राज0) — रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय
आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.
2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक ~~09~~.10.2019
14.

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश क्रमांक—रसद /अभियोजन/2019-20/531-537 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत जहांगीरपुर, तहसील करौली, जिला करौली (राज.) के 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1109/95 है एवं याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत सायपुर के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श-1 संलग्न प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016, एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 05.08.2016 एवं 24.03.2017 की फोटो प्रति प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 संलग्न प्रस्तुत है। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा



जिला कलक्टर
करौली

जिला कसाला द्वारा दिनांक 29.06.2019 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में दुकान की जांच की गई जिसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 04.07.2019 को निलम्बित किया जाकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाब प्रार्थी द्वारा दे दिया गया। निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2019 कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.07.2019 एवं जबाब की फोटो प्रति प्रदर्श-4, प्रदर्श-5 व प्रदर्श-6 संलग्न प्रस्तुत है। निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2019 को प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्पीकिंग आदेश के साथ 15 दिवस के अन्दर निस्तारित करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-7 संलग्न प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है। विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्त मैसेज उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाईट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई-मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन-देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये दिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये निलम्बित कर दिया जो कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री की कालाबाजारी एवं दुरुपयोग का कोई

भी आरोप प्रमाणित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान को परिपत्र जारी कर निर्देशित किये गये है कि छोटी मोटी तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर डीलरों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज नहीं किये जाने बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को केवल मात्र दुकान बंद पायी जाने के आधार पर निलम्बित किया गया जो कि कतई रूप से उचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। निलम्बन आदेश के पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाब प्रार्थी द्वारा दे दिया गया एवं अवशेष स्टॉक प्रार्थी के गोदाम में था जिसको प्रार्थी द्वारा अटैच डीलर को सुपुर्द किये जाने बाबत् निवेदन किया गया लेकिन अटैच डीलर द्वारा अवशेष स्टॉक का उठाव नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पार्ट पर कोई बदनियती नहीं थी। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आज तक प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2019 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा अपीलिय न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर उक्त अपील को स्पीकिंग आदेश के सहित 15 दिवस के अन्दर निस्तारित करें। याचिकाकर्ता का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। याचिकाकर्ता के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवम् याचिकाकर्ता के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जांच दुकान बंद पायी गई जिसे खुलवाया गया। दुकान के बाहर दुकान का नाम, मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, टेलीफोन नंबर एवं खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा एवं प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। वक्त जांच पोस मशीन में 2694 किलोग्राम, केरोसीन शून्य लीटर एवं चीनी 189 किलोग्राम दर्ज पायी गई। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 2400 किलोग्राम, केरोसीन शून्य लीटर एवं चीनी शून्य किलोग्राम पायी गई। डीलर ने बताया था कि चीनी 189 किलो स्टॉक अधिक एवं गलत चढ़ा हुआ है। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर गेहूं 2.94 किंव. कम पाया गया है। चीनी का वितरण 7 किलोग्राम अधिक किया गया है एवं केरोसीन का स्टॉक सही पाया गया है। इस प्रकार अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जो विधि सम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।


बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की उपस्थिति में अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई है। कार्यालय अभिलेख, ऑनलाइन वितरण, पोस मशीन में दर्ज स्टॉक एवं भौतिक सत्यापन करने पर केवल गेहूं 2.94 किंव. कम पाया गया है तथा 7 किलोग्राम चीनी का अधिक वितरण करना पाया गया है। पोस मशीन में चीनी 189 दर्ज पायी गई है जबकि मौके पर शून्य किलोग्राम पायी गई है। इस प्रकार चीनी का स्टॉक तो पोस मशीन में 189 किलोग्राम


जिला कलक्टर
करौली

गलत दर्ज होना विदित होता है जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त पोस मशीन में दर्ज मात्रा से अधिक का वितरण किया जाना भी संभव नहीं है। अतः 2.94 क्विं. गेंहूं के कम पाये जाने के अलावा के अलावा अन्य कोई आरोप अपीलार्थी पर नहीं रह जाता है। वितरण के समय माप तौल में छीजत भी हो जाती है। अतः अपीलार्थी पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। इसलिए हम अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश क्रमांक-रसद/अभियोजन/2019-20/531-537 दिनांक 04.07.2019 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर

करौली